386

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी प्रकरण क्रं. = निगरानी 522-I-15 सन् 2015

अशोक कुमार पाठक पुत्र स्व. श्री रामनारायण पाठक

हाल निवासी चौबे कालोनी, पाठक आटा चक्की के

पास छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. .. आवेदक

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 13-3-15 को प्रस्तुत

बनाम

1. श्रीमती मुंगिया पटेल पत्नी श्री बल्ली पटेल

निवासी महाराजगंज तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 13-3-15

2. शासन म.प्र. .. .. अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 14.07.14, राजस्व निरीक्षक महोदय, रा. नि. मं. छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर के प्र.क्रं. 73/अ-12/ 2013-14.

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
13-3-2015

महोदय,

आवेदक सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ख. नं. 102/1 रकबा 1.626 हे. स्थित महाराजपुर तहसील व जिला छतरपुर में स्थित है. एवं आवेदक से लगी हुई भूमि ख. नं. 103 रकबा 2.072 हे0 स्थित ग्राम महाराजगंज तहसील व जिला छतरपुर अनावेदक क्रं. 1 की भूमि है ।

2. यह कि आवेदक ने अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन दिनांक 22.05.14 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार महोदय छतरपुर द्वारा आवेदन को मार्क करते हुये राजस्व निरीक्षक को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था ।

3. यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 22.05.14 सीमांकन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 02.06.14 को अनावेदक क्रं. 1 द्वारा अपनी स्वत्व व आधिपत्य की भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक महोद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—522—एक/2015 जिला—छतरपुर

अशोक कुमार पाठक विरूद्ध श्रीमती मुंगिया पटेल व म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहसील व जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 73/अ—12/2013—14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14—07—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18—04—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (3) (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	